351

संख्या : /XLI-1/2017– चि0प्रति0– 78(प्रशि0)/2014 टी0सी

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण,
हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 27 मार्च, 2017

विषयः श्री एन0एल0आर्य, वैयक्तिक अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी(नैनीताल) की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की कार्योत्तर तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1958/डीटीईयू/0202/चि0प्र0/08/2017 दिनांक 09.02.2017 एवं 470–71/डीटीईयू/0202/चि0प्र0/08/2016 दिनांक 15.01.2016 तथा पत्र संख्या 12905–06/डीटीईयू/0202/चि0प्र0/08/2014 दिनांक 04.09.2015 के साथ संलग्न स्वास्थ्य उपचार के अभिलेखों एवं प्रकरण के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री एन0एल0आर्या, वैयक्तिक अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी (नैनीताल) की पत्नी के दिनांक 01.04.2014 से 24.07.2014 तथा 11.08.2014 से 24.09.2014 तक कराये गये स्वास्थ्य उपचार पर व्यय हुई धनराशि जो प्रमुख अधीक्षक, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी के पत्र संख्या एम–1/ चि0प्र0पूर्ति/2015–16/125, दिनांक 12.01.2016 द्वारा नियमानुसार प्रतिहस्ताक्षरित/संस्तुत धनराशि ₹62,065/– एवं ₹64,962/– अर्थात् कुल धनराशि ₹1,27,027/– (₹एक लाख सत्ताईस हजार सत्ताईस मात्र) की प्रतिपूर्ति, की कार्योत्तर तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न प्राविधानों/शर्तों के अधीन किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– प्रतिपूर्ति की स्वीकृति/भुगतान से पूर्व सरकारी सेवकों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी शासनादेश संख्या 679/चि.–3–2006–437/2002 दिनांक 04.9.2006 में विहित शर्तों/प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाए।

3– यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में वित्त (वे.आ.–सा.नि.) अनुभाग–07, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 286/XXVII(7)09(II)/2011 दिनांक 30.12.2011 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित व्यवस्था/प्राविधानों के अनुसार अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

4– सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में अथवा अन्य स्रोतों से भुगतान नहीं किया गया है, तदनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा शासनादेश दिनांक 04.9.2006 में निहित प्राविधानानुसार, नियमानुसार देय है।

5– धनराशि का आहरण एवं भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इससे पूर्व इसका भुगतान नहीं हुआ है, साथ ही यदि कोई अग्रिम स्वीकृत किया गया हो तो उसका समायोजन भी कर लिया जाएगा।

6– इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के 'अनुदान संख्या–16' के 'आयोजनेत्तर पक्ष' के अधीन लेखाशीर्षक"2030–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण आयोजनेत्तर, 003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षको का प्रशिक्षण, 03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान के मानक मद संख्या 27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के नामे डाला जायेगा।

7– यह अनुमति उक्त संस्थान में कराये गये उपचार की उक्त अवधि के लिये ही मान्य होगी। तदनुसार आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनाक 15.01.2016 एवं 04.09.2015 के साथ प्राप्त अभिलेखों को मूल रूप में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु वापस किये जा रहे हैं।

संलग्नक : स्वास्थ्य उपचार संबंधी समस्त बिल बाऊचर्स मूलरूप में।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव।

C:\Desktop\Arvind Singh 2017 Chikitsa Pratipurti G.O. I.T.I. Section-2.docx

संख्या : 198 (1)/XLI-1/16-चि0प्रति0 78(प्रशि0)/2014 टी0सी तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उपनिदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी(नैनीताल)।
2. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी(नैनीताल)।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हल्द्वानी(नैनीताल)।
5. वरिष्ठ वित्त अधिकारी/वित्त अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी(नैनीताल)।
6. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री एन0एल0आर्य, वैयक्तिक अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी(नैनीताल)।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
अनु सचिव।